"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्र. 5591/124/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-05-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है.

(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-द का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 4-द की उपधारा (1) में, शब्द "आबकारी आयुक्त" के स्थान पर शब्द "संभागीय राजस्व आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए.

उक्त अधिनियम में संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, जहां कहीं शब्द "केबल" आया है उसके स्थान पर शब्द "केबल/डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम)" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्र. 5591/124/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2010)

THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT TAX (AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2010.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4-D.

2. In sub-section (1) of Section 4-D of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Excise Commissioner" the words "Commissioner of Revenue Division" shall be substituted.

Amendment in the said Act.

3. In the Principal Act, wherever word "Cable" occur, in place of that words "Cable/D.T.H. (Direct to Home)" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.